संक्षिप्त

कोटपूतली में विशेष शिविर का आयोजन

कोटपूतली। स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशानुसार भारत सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत नगर परिषद कोटपूतली द्वारा विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 01 जून 2026 से 30 जून 2026 तक नगर परिषद कार्यालय में आयोजित होगा। कार्यालय अवकाश को छोडकर शिविर प्रतिदिन संचालित किया जाएगा। नगर परिषद के प्रभारी (एनयूएलएम) अभिषेक सैनी ने बताया कि योजना के तहत छोटे व्यवसाय करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स एवं रेहड़ी-पटरी संचालकों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से 15 हजार, 25 हजार एवं 50 हजार रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पात्र लाभार्थियों को ब्याज में छूट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के पात्र वेंडर्स इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक लाभार्थियों को शिविर में आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा आधार से लिंक मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होना होगा। नगर परिषद प्रशासन ने अधिक से अधिक पात्र वेंडर्स से शिविर का लाभ उठाकर स्वरोजगार को सशक्त बनाने तथा अपनी आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की अपील की है। शिविर प्रतिदिन प्रात: 10:15 बजे से सायं 5:00 बजे तक संचालित रहेगा, जहां पात्र आवेदक मौके पर ही आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

मंत्री रावत 2 को दौसा में

दौसा (निसं.)। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत मंगलवार को जिले के दौरे पर रहेंगे। जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता एमएल मीणा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मंत्री सुरेश सिंह रावत मंगलवार सुबह 8 बजे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अन्तर्गत कालाखो बांध का अवलोकन कर जल पूजन करेंगे। कार्यक्रम के अन्तर्गत कलश यात्रा, जल पूजन, पौधारोपण एवं जल संरक्षण के लिए संकल्प लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मुख्य कार्यक्रम के अतिरिक्त जिले के सैथल सांगर बांध, सिंथोली बांध, माधोसागर बांध एवं जगरामपुरा बांध आदि पर भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

दो कांस्टेबल लाइन हाजिर

लालसोट । स्मैक तस्करी के एक मामले में गिरफ्तार 10 हजार रुपये के इनामी आरोपी के खुलासे के बाद पुलिस विभाग में हलचल मच गई है। आरोपी ने पूछताछ के दौरान मंडावरी थाने के दो कांस्टेबलों पर सहयोग और लेन-देन के आरोप लगाए हैं। आरोपों को गंभीरता से लेते हुए दौसा एसपी ने दोनों कांस्टेबलों को लाइन हाजिर कर दिया है। मामला नवंबर 2025 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, हाल ही में गिरफ्तार इनामी आरोपी ने पूछताछ में दावा किया कि उसका संपर्क मंडावरी थाने के दो पुलिसकर्मियों से था और उन्हें रुपये देने की बात भी कही। इसके बाद प्रारंभिक जांच में लापरवाही सामने आने पर दोनों कांस्टेबलों को लाइन हाजिर कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई। एसपी ने कहा है कि मामले की गहन जांच की जा रही है आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महकमे में इस घटनाक्रम को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

शहीदों के सम्मान में दो मिनट का मौन

लालसोट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इन्दावा में रविवार को अध्यापक कमलेश कुमार शर्मा के सेवानिवृत्त होने पर भावभीनी विदाई समारोह आयोजित किया गया।समारोह में प्रधानाचार्य राम लखन मीणा ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उनकी सेवाओं की सराहना की। उप प्रधानाचार्य पंकज कुमार आर्य ने उन्हें कर्तव्यपरायण एवं कर्मठ शिक्षक बताया।

नम्बर मिलाइए 8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

काम में लापरवाही नहीं चलेगी, अधिकारी समय पर लक्ष्य को पूरा करें : अतुल प्रकाश

- खैरथल सचिवालय पर हुई कलेक्टर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक, फार्मर रजिस्ट्री, पेंशन सत्यापन और जनगणना पर रहा फोकस, लापरवाही पर दिए सख्त निर्देश
- तिजारा में पेंडिंग पेंशन मामलों पर नाराजगी, टपूकडा और भिवाड़ी में धीमी जनगणना पर जताई चिंता दिए तेजी लाने के आदेश

जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश ने खैरथल जिला सचिवालय पर समीक्षा बैठक ली।

खैरथल। जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश की अध्यक्षता में सोमवार को जिला सचिवालय में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में फार्मर रजिस्ट्री अभियान, पेंशन सत्यापन, जनगणना, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान और संपर्क पोर्टल सहित कई योजनाओं की प्रगति जांची गई। कलेक्टर ने काम में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को समय पर लक्ष्य पूरे करने के सख्त निर्देश दिए।

बैठक के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जिला कलेक्टर ने सभी एसडीएम को फार्मर रजिस्ट्री अभियान में तय लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति करने को कहा। उन्होंने लंबित पेंशन सत्यापन प्रकरणों को एक सप्ताह में पूरा करने के आदेश दिए। तिजारा खंड में सबसे ज्यादा पेंशन मामले लंबित होने पर उन्होंने तुरंत कार्ययोजना बनाकर निस्तारण के निर्देश दिए।जनगणना कार्यों की समीक्षा में टपूकड़ा, नगर पालिका टपूकड़ा और नगर परिषद भिवाड़ी क्षेत्र में कम प्रगति पर कलेक्टर ने चिंता जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को काम में तेजी लाने को कहा। सभी एसडीएम को पटवारियों की नियमित बैठक लेने और सीएलएफ भवनों के चिन्हीकरण के लिए फील्ड विजिट कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को सड़कों का डिमार्केशन कार्य प्राथमिकता से पूरा करने को कहा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत सभी विभागों को तय कार्यक्रम के अनुसार गतिविधियां प्रभावी तरीके से चलाने के निर्देश दिए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की समर कंटीजेंसी योजना का एक बचा हुआ काम बिजली विभाग के साथ मिलकर जल्द पूरा करने को कहा। संपर्क पोर्टल पर फिर से खोले गए मामलों में परिवादियों से बात कर गुणवत्तापूर्ण समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही जीएसएस और चंबल परियोजना से जुड़े भूमि आवंटन मामलों की भी समीक्षा की। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट, उप अधीक्षक लालसिंह यादव, उप अधीक्षक तिजारा शिवराज, सहायक निदेशक वेद प्रकाश सैनी, अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी ओमप्रकाश किराड, संयुक्त निदेशक वीरेंद्र त्यागी, सीएमएचओ डॉ. अरविंद गेट, समाज कल्याण अधिकारी रमेश दहमीवाल, कोषाधिकारी सुरेश कुमार बंसल, अधीक्षण अभियंता पीएचडी धर्मवीर यादव, उपनिदेशक उद्यानिकी गोपाल मीणा मौजूद रहे।

चोरी गई स्कोर्पियो बरामद

दौसा (निसं.)। दौसा कोतवाली पुलिस ने बडा खुलासा करते हुये अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुये वाहन चोर गिरोह सरगना को गिरफ्तार कर एक सप्ताह पूर्व दौसा से चुराई स्कोर्पियो बरामद की है। इधर कोतवाली पुलिस वाहन चोर गिरोह के सरगना से पुछताछ कर रही है, जिसके चलते प्रदेश से तकरीबन चार दर्जन से अधिक चोरी हुये वाहनों का राज खुलने की संभावना है। पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि 23 मई को परिवादी सुनील कुमार शर्मा पुत्र तुलसीराम शर्मा उम्र 50 साल निवासी गणेश नगर आगरा रोड दौसा ने थाना कोतवाली दौसा रिपोर्ट दर्ज कराई कि प्रार्थी के पास चौपहिया वाहन स्कोर्पियो रंग काला रजिस्ट्रेशन नम्बर आरे 29 यूए 8412 चेचिस नम्बर 122220894 इंजन नम्बर 477473 उक्त वाहन को प्रार्थी ने अपने गणेश नगर आगरा रोड स्थित मकान पर अच्छे तरीके से लॉक करके रखा था। उक्त वाहन को कुछ लोग 23 मई को प्रात:4 से 4.30 बजे के बीच मे चोरी करके ले गये।

नकली नोट छापने व बेचने के मुख्य सरगना सहित दो पकड़े

- गिरोह के पास से नकली कैरेन्सी छापने की सामठी 11 प्रिन्टर व 2 लेपटोप सहित करीब 24 लाख 84 हजार के नकली नोट बरामद किए

दौसा (निसं.)। सदर थाना पुलिस ने बडी कार्यवाही करते हुये नकली भारतीय कैरेन्सी छापने एवं बेचने के मुख्य सरगना सहित अन्य दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

साथ ही गिरोह के पास से नकली कैरेन्सी छापने की सामग्री 11 प्रिन्टर व 2 लेपटोप, 6 पेपर रोल, 2 डिब्बा केमिकल, बुश, कटर, 10 वाटर मार्क डाई, कागजात व अन्य उपकरण सहित करीब 24 लाख 84 हजार के नकली नोट बरामद किये है। इधर पुलिस गिरफ्तार आरोपितों से पुछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक पीयूस दीक्षित ने मुख्यालय पर आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि 28 मई को परिवादी कोतवाली थाना के थानाधिकारी भगवान सहाय पु.नि. ने अवैध 40 हजार रुपये की नकली भारतीय मुद्रा के साथ अभियुक्त आयुष कुमार मीना को गिरफ्तार किया था। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान विधि से संघर्षरत किशोर को निरूध कर 47 हजार रू. की नकली भारतीय करेन्सी बरामद की गई। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण की गहना से जांच एवं मुख्य सरगना को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उपाधीक्षक धर्मेन्द्र कुमार शर्मा के सुपरविजन एवं सदर थानाधिकारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में भूपसिंह स.उ.नि. पुलिस थाना सदर, अरविन्द कुमार हैड कानिं., पन्नालाल हैड कानिं., कैलाश कानिं., निरोत्तम कानिं एवं मुकेश कानिं को शामिल किया गया। गठित टीम ने फरीदाबाद में दबिश देकर नकली करेन्सी छापने व विक्रय करने के मुख्य सरगना संतोषसिंह वाल्मिकी सहित उसके साथी विशाल उपाध्याय गिरफ्तार किया गया। तथा एक विधि से संघर्षरत बालक को किया निरूध किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 24 लाख 37 हजार रूपये के नकली नोट कागज पर प्रिन्ट किये हुये तथा नोट छापने के लिये भारी मात्रा में कागज, पेपर, स्याही, वाटर मार्क डाई, लेपटॉप, प्रिन्टर व अन्य उपकरण जब्त किये गये। अभियुक्त पुलिस रिमाण्ड पर जिनसे अवैध नकली करेन्सी के सम्बन्ध में अनुसंधान जारी है। पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित ने बताया कि इस प्रकरण में आयुष कुमार मीना पुत्र राजेन्द्र कुमार उम्र 19 साल निवासी बीड की ढाणी तन मांगाभाटा पुलिस थाना सदर दौसा जिला दौसा, संतोष सिंह पुत्र प्रतापसिह वाल्मिकी उम्र 33 साल निवासी तारापुर पुलिस थाना गौण्डा जिला अलीगढ उत्तरप्रदेशफरिदाबाद, हरियाणा, विशाल उपाध्याय पुत्र शंकर उपाध्याय निवासी खरोन्दा पुलिस थाना बेलहथ जिला गढवा झारखण्ड को गिरफ्तार किया गया है तथा एक बालक निरुद्ध किया गया है।

महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन

लालसोट। ब्लॉक चांदसेन कांग्रेस टीम के तत्वावधान में सोमवार को पूर्व चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीणा के नेतृत्व में भाजपा सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। कांठोस कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर धरना-प्रदर्शन किया और पेट्रोल, डीजल सहित आवश्यक वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमतों पर सरकार को घेरा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की।
आमजन पर बढ़ रहे आर्थिक बोझ को लेकर नाराजगी जताई। इसके बाद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पेट्रोल-डीजल तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करने और आम जनता को राहत देने की मांग की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम आदमी का बजट बिगड़ गया है और सरकार को जनता के हित में ठोस कदम उठाने चाहिए।

ग्रीष्मकाल में पेयजल, बिजली व स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारु बनाए रखने पर विशेष जोर

- कलेक्टर ने की फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं की समीक्षा

कोटपूतली । जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं, विकास कार्यों, सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों तथा आमजन से जुडी आधारभूत सुविधाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। उपखंड स्तर से ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुडे।

बैठक में जिला कलेक्टर ने विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की राज्य स्तरीय रैंकिंग एवं ब्लॉकवार प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए तथा सभी विभाग निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करें। ग्रीष्मकालीन परिस्थितियों को देखते हुए जिला कलेक्टर ने पेयजल, विद्युत एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारु बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने विद्युत विभाग को आंधी-तूफान से प्रभावित विद्युत व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए आवश्यक सुधार एवं अपठोडेशन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बैठक में वर्ष 2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 की लंबित बजट घोषणाओं की विभागवार समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को कार्यों की प्रगति में तेजी लाने तथा निर्धारित समयावधि में उन्हें पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही नीमराना-बहरोड़ क्षेत्र में संचालित महत्वपूर्ण परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान में संवेदनशीलता एवं जवाबदेही का विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सहकारिता, वन, राजस्व तथा स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। चिकित्सा विभाग की विभिन्न बजट घोषणाओं की वस्तुस्थिति का सत्यापन करने के निर्देश भी दिए गए।

50 हजार पौधारोपण का लक्ष्य पूरा करने पर चर्चा

दौसा (निसं.)। दौसा-बांदीकुई नगर विकास न्यास की बैठक सोमवार को जिला कलक्टर एवं न्यास अध्यक्ष डॉ. सौम्या झा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में इस साल 50 हजार पौधारोपण का लक्ष्य पूरा करने सहित विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। सर्वप्रथम गत बैठक की कार्यवाही विवरण की समीक्षा की गई। जिला कलक्टर ने पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की बिंदुवार समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। इस वर्ष न्यास क्षेत्र में 50 हजार पौधे लगाने के लक्ष्य पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके तहत प्रथम चरण में 11 हजार पौधों के रोपण की कार्ययोजना प्रस्तुत की गई। जिला कलक्टर ने शेष पौधारोपण के लिए भी शीघ्र विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय क्षेत्रों के पार्कों, प्रमुख सडकों तथा जल स्त्रोतों के आसपास अधिक से अधिक पौधे लगाने पर विशेष जोर दिया। बैठक में रीको, सार्वजनिक श्मशान, विद्यालय खेल मैदान एवं अन्य सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस दौरान राज्य सरकार की भूमि आवंटन नीति के नियमों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

लंबित मांगों पर कार्रवाई न होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी

टोंक में मंत्रालयिक कर्मचारियों ने एसडीएम-बीडीओ को ज्ञापन सौंपा।

- ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि पंचायतीराज विभाग दो साल से मंत्रालयिक संवर्ग की मांगों पर विचार नहीं कर रहा है।

टोंक। निवाई में पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन की उपशाखा ने सोमवार को उपखंड अधिकारी अजीत सिंह और विकास अधिकारी नंदकिशोर को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों पर शीघ्र कार्रवाई न होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। संगठन के अध्यक्ष प्रेमचंद माली और महामंत्री सुनील कुमार गुर्जर के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि पंचायतीराज विभाग दो साल से मंत्रालयिक संवर्ग की मांगों पर विचार नहीं कर रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि कनिष्ठ लिपिक भर्ती-2013 की जांच के नाम पर उनकी सेवा संबंधी मांगों को लगातार लंबित रखा जा रहा है, जिससे उनमें रोष है। ज्ञापन में ठाम पंचायतों में कार्यरत कनिष्ठ एवं वरिष्ठ सहायकों को ठाम विकास अधिकारियों के समान अधिकार और जॉब चार्ट जारी करने की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त, पंचायत लेखों में पारदर्शिता के लिए मेकर-चेकर-अप्रूवर व्यवस्था लागू करने, मंत्रालयिक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन करने और अंतरजिला स्थानांतरण की अनुमति देने की भी मांग शामिल है।

आरोपी गिरफ्तार

दौसा (निसं.)। सिकन्दरा थाना पुलिस ने बडा कारनामा करते हुये घटना के मात्र 70 घंटे में नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया है। इधर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपित को न्यायालय में पेश किया जहां उसे न्यायालय ने जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित ने बताया कि सिकन्दरा थाना में 26 मई को अबोध बालिका के पिता द्वारा रिपोर्ट पेश की कि मेरी 10 वर्षीय पुत्री का रात 12 बजे कोई अनजान व्यक्ति घर से उठाकर ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म जैसा कुकृत्य किया गया एवं बच्ची के साथ छेडछाड व लोहे की चेन से जान से मारने की कोशिश की। उन्होने बताया कि प्रकरण दर्ज कर घटना की गंभीरता का मध्यनजर रखते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध त्वरित अनुसंधान सैल दौसा योगेन्द्र फौजदार को जांच के निर्देश दिये गये। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेन्द्र फौजदार ने मौके पर एमओबी, एफएसएल टीम तथा डॉग स्कॉवड टीम को बुलाकर भौतिक साक्ष्यो का संकलन किया गया।

आम-सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फ्लेट न. 105 प्रथम फ्लोर खसरा नम्बर 163 रॉयल ऐवन्यू ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई जयपुर के असल दस्तावेजो पर ऋण प्राप्त कर राजदुलारी माथुर द्वारा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में रहन किये गये थे। राजदुलारी माथुर का निधन दिनांक 03.01.2025 को हो गया जिसकी मृत्यु के पश्चात उसके कानूनी वारिसान मे उसके पति मुकेश माथुर, पुत्र विधु माथुर, पुत्री अंजली माथुर ही एक मात्र कानूनी वारिसान बताये गये है तथा उपरोक्त सम्पत्ति के दस्तावेजो को मुकेश माथुर एवं अंजली माथुर ने विधु माथुर को दिये जाने के सन्दर्भ में अपनी सहमति दे दी है इसलिये उपरोक्त सम्पत्ति के असल दस्तावेज विधु माथुर को दिया जाना है यदि इसमें किसी भी व्यक्ति, वित्तीय संस्था अथवा बैंक आदि को कोई आपत्ति हो तो 10 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास लिखित में मय सबूत सम्पर्क करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। सूचित रहे।
सतीश चन्द्र गुप्ता (एडवोकेट)
मो. 9414056003
87 प्रभात कॉलोनी, विजयबाडी पथ नम्बर 07 सीकर रोड जयपुर

आम-सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा अभिभाष्य युसुफ उर्फ पप्पु पुत्र श्री छुट्टन कुरैशी उर्फ मोहम्मद छुट्टन निवासी-प्लॉट नम्बर ए-32, आजाद कॉलोनी, हरिजन बस्ती, सीकर हाउस डन्डे के पास, नाहरी का नाका, जयपुर, राजस्थान का हैं जो कि मेरा गोद लिया पुत्र इमरान खान एवं पुत्र वधु शौकीना मेरे अभिभाष्या के कहे में नही है मेरे अभिभाष्या का कहना नही मानते है तथा ना ही मेरे अभिभाष्या की सेवा सुश्रा करते है जिस कारण मेरे अभिभाष्या ने अपने गोद लिये पुत्र व पुत्र वधु को अपनी समस्त चल व अचल सम्पति से बेदखल कर दिया है। अब गोद लिये पुत्र व पुत्र वधु का मेरे अभिभाष्या की समस्त प्रकार की चल व अचल सम्पति से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही रहा है यदि कोई व्यक्ति या संस्था इनसे किसी प्रकार का कोई लेन देन या संव्यवहार करता है तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा। सूचित रहे। भवदीय
जयपुर दिनांक 01/06/26 (मोहम्मद शाहिद कुरैशी) एडवोकेट मो न. 9929011582

खोया पाया
मेरे प्लाट नम्बर 22, सिद्धी नगर धावास, जयपुर के मूल कागजात आवटंन पत्र, रसीद, मानचित्र जो भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि. द्वारा दिंनाक 30.12.1998 को जारी किये गये थे, वह पालडी मीणा से जयपुर के बीच कही पर गिर गये है मिलने पर सूचित करे। अजय मो. 8209427748

NAME CHANGE
I have changed my name from Pramod Kumar Sharma to Pramod Sharma S/o Shrwan Lal Sharma R/o Plot No 70, Govindam Green City-20, Kalwar Road, Govindpura, Jaipur. For all purpose.

मैनें अपना नाम AMITA JAISWAL से बदलकर SAHIBA QURESHI धर्मपत्नी वसीम कुरेशी निवासी 142, कश्यम मार्ग, सम्राट सिनेमा के पीछे, सुभाष चौक जयपुर रख लिया है भविष्य में मुझे SAHIBA QURESHI के नाम से जाना पहचाना जावें।

मैं आर्मी नंबर JC878520Y रैंक NB/SUB दिसले संजय बापूराव, पोस्ट गाँव- राजापुर, तह.- खटाव, सतारा, महाराष्ट्र, ने अपने सर्विस रिकॉर्ड में अपने पुत्र का नाम हिमांशु से बदलकर हिमांशु संजय दिसले कर दिया है।

मेरा नाम राधेश्याम समोता टीकाराम समोता पुत्र सूजाराम निवासी निमड़ी ढाणी वाटिका है मुझे भविष्य में राधेश्याम समोता के नाम से जाना जाये।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर
आवश्यक सूचना
मूलतः आवास संख्या 5/151, एन.ई.बी. विस्तार योजना, अलवर जो कि श्री नृपेन शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा को आवंटन पत्रांक 3938 दिनांक 10.01.2011 के द्वारा आवंटित किया गया था। आवास का अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 475 दिनांक 30.04.2012 को श्री नृपेन शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा के नाम जारी कर दिया गया। श्री नृपेन शर्मा द्वारा उक्त आवास के लिये जर्ये पंजीकृत मुख्तयारनामा दिनांक 28.04.2011 को श्रीमती शशी बत्रा पत्नी श्री राकेश बत्रा को अपना मुख्तयारआम नियुक्त किया गया। श्रीमती शशी बत्रा द्वारा आवास की रजिस्ट्री स्वयं के नाम से दिनांक 15.05.2012 को उप पंजीयक कार्यालय अलवर में पंजीकृत करवाई जा चुकी है। श्रीमती शशी बत्रा बहैसियत मुख्तयारआम आवास का बेचान जर्ये पंजीकृत बयनामा दिनांक 16.05.2012 को श्री करूण नरूला पुत्र स्व. श्री कंवलनयन नरूला को कर दिया गया। श्री करूण नरूला द्वारा आवास का बेचान जर्ये पंजीकृत बयनामा दिनांक 23.01.2025 को श्रीमती कैलाश देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश को कर दिया गया। श्रीमती कैलाश देवी द्वारा उक्त आवास का मण्डल नियमानुसार लीज हस्तांतरण किये जाने हेतु दस्तावेज एवं शुल्क जमा करा कर आवेदन किया गया है। अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त आवास संख्या 5/151, एन.ई.बी. विस्तार योजना, अलवर के सम्बन्ध में पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, अन्य किसी रिश्तेदार व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति विशेष को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में, राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्रीमती कैलाश देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश के पक्ष में आवास के लीज हस्तांतरण की कार्यवाही की जावेगी।
उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर

प्रपत्र-7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 638/2026
चूंकि श्री दिनेश मिश्रा निवासी तम्बाकू पारा, वार्ड-7 लालसोट दौसा ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत. प्रन्यास श्री सनातन धर्म शास्त्री संस्कृत महाविधालय समिति लालसोट दौसा जिला दौसा राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। 1
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारां प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 27/5/26...को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 31/7/26
(मोहर अदालत) सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

प्रपत्र-7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 635/2026
चूंकि श्री हनुमान सहाय मीना निवासी 28 कमाण्डर्स कॉलोनी पाच्यावालां, सिरसी रोड जयपुर राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत सरस्वती बाल शिक्षा निकेतन समिति ग्राम पोस्ट बोबास, तहसील दूदू जिला जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारां प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 25/5/26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 30/7/26
(मोहर अदालत) सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

उद्घोषणा (इश्तिहार)
अपर जिला एंव सेशन न्यायाधीश कम्र- 11, जयपुर महानगर प्रथम मु. सांगानेर
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं- 13 / 2026
विषय : उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र
प्रार्थी- नाम सत्यनारायण मीणा पुत्र स्व.श्री फूलचन्द जाति मीणा विवाद स्थान ग्राम चक करोल तह. सांगानेर जयपुर मृतक स्व.श्री फूलचन्द मीणा की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक 20/7/26
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम स्व. फूलचन्द मीणा पुत्र स्व. गंगाबख्श जाति मीणा निवासी ग्राम चक करोल, तह. सांगानेर, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावे।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक..20....माह..07 सन् 2026.. को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 25 माह 5 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
मोहर आज्ञा से
अपर जिला एंव सेशन न्यायाधीश कम्र- 11, जयपुर महानगर प्रथम मु. सांगानेर

प्रपत्र-7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 645/2026
चूंकि श्री डा. निखिल बंसल पुत्र डा. ओ.पी. बंसल निवासी विकास कॉलोनी, बंसल हॉस्पिटल दौसा ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यांस पुण्यसेतु ट्रस्ट, प्रन्यास कार्यालय का पता 539, हनुमान नगर, झोटवाडा जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारां प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 27/5/26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 3/8/26
(मोहर अदालत) सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

OFFICE THE GRAM PANCHAYAT HAANSPUR PS- SHRIMADHOPUR (SIKAR)
No. Eproe/2026-271/45 **E-Tender Notice No. 01/2026-27** Date:-01/06/2026
Bids for open tender of procurement Of Construction Material for Work in MGNREGA And Other Scheme in Gram Panchayat HAANSPUR Panchayat Samiti SHRIMADHOPUR (Sikar) are invited from Firms/Suppliers Registered Under the GST act 2017, 6.00 PM UPTO 11-06-2026. Other particulars of the bid may be visited on the procurement Portal http://sppp.raj.nic.in and http://eproc.rajasthan.gov.in) of the state and at Gram Panchayat HAANSPUR Office in all working days.
UBN:- SMD2627GLRC00045
Administrator, Gram Panchayat Haanspur, Panchayat Samiti Shrimadhopur
Village Development Officer, Gram Panchayat Haanspur, Panchayat Samiti Shrimadhopur

आम-सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री खेमचन्द पुत्र श्री त्रिलोक चन्द, निवासी- जे.पी कॉलोनी-द्वितीय, बगरू, जिला जयपुर के पुत्रानं योगेश कुमार, सचिन कुमार व घनश्याम त्रिपाठी मेरे अभिभाष्य के कहने व सुनने में नहीं है। मेरे अभिभाष्य की चल व अचल सम्पत्ति से मेरे अभिभाष्य के तीनों पुत्रों योगेश कुमार, सचिन कुमार व घनश्याम त्रिपाठी का कोई संबंध व सरोकार नही है। अतः मेरे अभिभाष्य द्वारा अपने तीनों पुत्रों योगेश कुमार, सचिन कुमार व घनश्याम त्रिपाठी को अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है तथा इनके द्वारा किये गये किसी भी कृत्य, अपराध व किसी भी तरह की लेन देन या संव्यवहार के लिए जिम्मेदार मेरे अभिभाष्य नहीं होंगे, यदि कोई व्यक्ति, संस्था, इत्यादि किसी भी तरह का कोई सम्बन्ध संव्यवहार योगेश कुमार, सचिन कुमार व घनश्याम त्रिपाठी से करेगा या रखेगा तो उसकी कोई जिम्मेदारी मेरे अभिभाष्य की नही होगी।
जयपुर दिनांक : 01/06/2026 दिनेश चन्द शर्मा) एडवोकेट मो.न. 9928956595

आम-सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या श्रीमती सरला, फाउण्डर व जनमदाता डायरेक्टर राजस्थान बाईबल इन्स्टीट्यूट जयपुर पंजीकृत कार्यालय मुबारक बाग, अजमेर रोड, जयपुर की है। मेरी अभिभाष्या द्वारा उक्त राजस्थान बाईबल इन्स्टीट्यूट जयपुर के संबंध मे वाद-विवादो व संबंधित अन्य आवश्यक कार्यवाहियां करने हेतु दिनांक 31.12.2025 को सुरेन्द्र पैट्रिक, पुत्र स्व० श्री एस एम लाल, निवासी गोविन्दपुरी, राकडी, सोडाला, जयपुर-302006 के हित में एक मुखत्यारनामा खास निष्पादित किया था, जो नोटरी पब्लिक श्री सतीश सी अग्रवाल, एडवोकेट द्वारा तस्दीक हुआ है। उक्त मुखत्यारनामा खास को मेरी अभिभाष्या द्वारा पूर्व मे जनवरी 2026 मे मौखिक रूप से एवं जरिए लिखित नोटिस दिनांकित 27/05/2026 से निरस्त कर दिया है। इस बाबत उक्त सुरेन्द्र पैट्रिक के द्वारा भविष्य मे उक्त राजस्थान बाईबल इन्स्टीट्यूट जयपुर के बाबत किसी प्रकार की कार्यवाहियां किसी दीगर व्यक्ति के हित में किया जाता है तो वह अमान्य माना जावेगा और उसकी समस्त जिम्मेदारी उक्त सुरेन्द्र पैट्रिक एवं संबंधित व्यक्ति की होगी, उससे मेरी अभिभाष्या का कोई सरोकार नही होगा। अगर भविष्य में उक्त मुखत्यारनामा खास मे वर्णित उक्त सुरेन्द्र पैट्रिक द्वारा कोई भी कार्यवाहियां, किसी भी व्यक्ति के साथ की जाती है तो वह कानूनी रूप से अमान्य समझी जावेगी और उससे उत्पन्न किसी भी जिम्मेदारी से मेरी अभिभाष्या का कोई सरोकार नही होगा।
हरीश अग्रवाल, एडवोकेट मो०-9413346087

कार्यालय नगरपालिका मण्डल मनोहरपुर जिला जयपुर
E-mail: npmanoharpur@rajasthan.gov.in
क्रमांक :- न.पा.मनो./ भूमि/2026-27/ 450 दिनांक :- 01/06/2026
प्रारूप 10 | नियम 6 (7) देखिये |
लोक सूचना
आवेदनकर्ता 1. श्री दीपक चंद वर्मा पुत्र श्री भैरूमल वर्मा, 2. श्री मुकेश चन्द कुमहार पुत्र श्री भैरू मल कुमहार जाति कुमहार, निवासी बागावास चौरासी, तह. विराटनगर जिला जयपुर (राज.), ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन (वाणिज्यक प्रयोजनार्थ) उपयोग हेतु ऐसी भूमि अपने अभिवृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात् **जिले सहित तहसील का नाम:** जिला जयपुर तहसील शाहपुरा, **ग्राम का नाम:** मनोहरपुर, **खसरा नंबर:** 9097/5289, **क्षेत्रफल:** 1140 वर्गमीटर, **प्रयोजनार्थ:** वाणिज्यक । इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1956 की धारा 63 के अधिनियम पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिवृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर किसी कार्यालय दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थन दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपरोक्त वर्णित समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को कोई आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निस्तारण किया जाएगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक.................. को जारी की गई है।
अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मनोहरपुर, जिला जयपुर

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद
सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर कार्यालय दूरभाष नं0 0141-2744283 फैक्स नं0 0141-2740568, ईमेल आईडी - rsscjaipur@gmail.com
क्रमांक :- एफ. 9/खेल उप./2026-27/राजकाज दिनांक :- 27/05/2026
निविदा संख्या 03/2026-27
राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर की ओर से निर्माता/अधिकृत विक्रेताओं से राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाजी खेल उपकरण (रिकर्व धनुष) की आपूर्ति हेतु सील बन्द लिफाफों में एतद् द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर कार्यालय में दिनांक 27.05.2026 को प्रकाशित कर दिनांक 03.06.2026 को अपराह्न 1.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी तथा उसी दिन सायं 4.00 बजे उपस्थित निर्माता/अधिकृत विक्रेताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। निविदा का सम्पूर्ण विवरण http://sppp.rajasthan.gov.in & www.rssc.in पर देखी जा सकती है। UBN No.: RSC2627GSOB00003
राज.संवाद/सी/26/3848 सचिव

राजस्थान सरकार
कार्यालय डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन, (अम्बेडकर पीठ)
(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग), ग्राम-मूण्डला, पो.-रूपवास, तहसील-जमवारामगढ़, जिला-जयपुर, राजस्थान-302027, Email:- secretaryapj@gmail.com Govt. Mail Id: ambedkarfoundation@RAJASTHAN.GOV.IN
नीलामी सूचना
इस कार्यालय के भण्डार में उपलब्ध अप्रचलित/अनुपयोगी आई.टी./ ईलेक्ट्रिकल सामानों (कम्प्यूटर, प्रिन्टर, UPS इत्यादि) जिनकी कीमत लगभग राशि 16,70,115.00 रूपये है, की नीलामी कार्यालय परिसर में दिनांक 18.06.2026 को अपराह्न 12.00 बजे व यदि आवश्यक हुआ तो दिनांक 19.06.2026 अपराह्न 12.00 बजे नीलामी हेतु गठित समिति द्वारा खुली बोली से की जावेगी। नीलामी की शर्ते नोटिस बोर्ड, कार्यालय की वेबसाईट www.ambedkarfoundationjaipur.in, SPPP पोर्टल एवं कार्यालय में मौके पर बता दी जावेगी।
NIB Code: SOC2627A0034, UBN Code: SOC2627GLOB00037
राज.संवाद/सी/26/3863 सचिव

कार्यालय नगर निगम, भरतपुर
क्रमांक : न.नि.भ. / 2026-27 / 4562 दिनांक : 27.05.2026
सार्वजनिक सूचना
न्यू पुष्पवाटिका कॉलोनी फेज-1 योजना भरतपुर के भूखण्ड संख्या 356 क्षेत्रफल 166.67 वर्गगज का आवासीय रूपान्तरण पट्टा विलेख क्रमांक 47 दिनांक 20.10.2021 नगर निगम, भरतपुर द्वारा श्रीमती आशा दिवाकर पत्नी श्री रामनाथ दिवाकर जाति धोबी निवासी-डी 56, जवाहर नगर, भरतपुर के नाम जारी किया गया। श्रीमती आशा दिवाकर पत्नी श्री रामनाथ दिवाकर ने उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड मुख्त्यारनामा आम दिनांक 17.07.2023 के द्वारा श्री मनोज कुमार पुत्र श्री प्रेमचंद के नाम कर दिया। श्री मनोज कुमार पुत्र श्री प्रेमचंद ने उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 27.09.2023 के द्वारा श्रीमती संजू देवी पत्नी श्री मानिक चंद को विक्रय कर दिया। विक्रय होने के पश्चात् उक्त भूखण्ड का नाम परिवर्तन नगर निगम, भरतपुर के पत्रांक 16323-325 दिनांक 03.02.2024 के द्वारा श्रीमती संजू देवी पत्नी श्री मानिक चंद के नाम पूर्व में हो चुका है। श्रमती संजू देवी पत्नी श्री मानिक चंद ने उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 03.07.2024 के द्वारा श्रीमती राधा कुमारी पत्नी श्री गजेन्द्र सिंह को विक्रय कर दिया। आवेदिका श्रीमती राधा कुमारी पत्नी श्री गजेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी - मगोर्रा तहसील व जिला मथुरा उ०प्र० हाल निवासी शाहपुर तहसील वैर जिला भरतपुर उक्त भूखण्ड का नाम परिवर्तन कराना चाहती है।
भूखण्ड संख्या 356, न्यू पुष्पवाटिका कॉलोनी फेज-1, भरतपुर का नाम परिवर्तन करने की कार्यवाही इस कार्यालय द्वारा की जानी है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर अवधि सात दिवस में कार्यालय नगर निगम, भरतपुर में अपनी आपत्ति दर्ज करावें अन्यथा गुजरने म्याद भूखण्ड संख्या 356, न्यू पुष्पवाटिका कॉलोनी फेज-1, भरतपुर का नाम परिवर्तन करने की कार्यवाही कर दी जावेगी एवं कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।
प्रभारी अधिकारी, स्कीम शाखा, नगर निगम, भरतपुर